जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

विषयः– गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड में नाम स्थापन/हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन बाबत ।

पूर्व में सहकारिता प्रकोष्ठ द्वारा गृह निर्माण सहकारी समितियों की 90ए/90बी शुदा गैर अनुमोदित कॉलोनियों में भी नाम प्रतिस्थापन किये जा रहे थे। अब सहकारिता प्रकोष्ठ द्वारा किये जाने वाले कार्य जोन कार्यालयों में किये जाने है।

अतः गैर अनुमोदित कॉलोनियों में नाम प्रतिस्थापन हेतु "सामान्य मार्गदर्शन बिन्दु व चैक लिस्ट" तथा "नाम प्रतिस्थापन पत्र" का प्रारूप आपके उपयोग हेतु संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है, जो सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(अर्चना सिंह)
सचिव

1. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, पुलिस अधीक्षक, जविप्रा, जयपुर।
4. निजी सचिव, वन सरक्षक, जविप्रा, जयपुर।
5. निदेशक(अभियांत्रिकी–प्रथम/द्वितीय/आयोजना/विधि/वित्त), जविप्रा, जयपुर।
6. अति.आयुक्त(प्रशासन/एलपीसी/पीआरएन एवं पुनर्वास/पूर्व/पश्चिम), जविप्रा, जयपुर।
7. अति.आयुक्त (भूमि) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
8. संयुक्त आयुक्त(संसाधन विकास एवं समन्वय/सिस्टम्स् मेनेजमेन्ट), जविप्रा, जयपुर।
9. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक(बी.पी.सी./एम.पी. एवं एल.पी), जविप्रा, जयपुर।
10. समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियंता..............., जविप्रा, जयपुर।
11. मुख्य नियंत्रक(प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
12. विशेषाधिकारी(आर.एम./कार्मिक), जविप्रा, जयपुर।
13. अति.निदेशक(राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
14. संयुक्त पंजीयक(सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
15. समस्त उपायुक्तण जोन–1 से 14/पी.आर.एन.–उत्तर–I/II/दक्षिण–I/II/प्रशासन/स्टोर/वाहन एवं रेकार्ड/पीपीसी, जविप्रा, जयपुर।
16. सहायक आयुक्त (जांच), जविप्रा, जयपुर।
17. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा को प्राधिकरण वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
18. लेखाधिकारी (भुगतान) , जविप्रा, जयपुर।
19. प्रभारी, नागरिक सेवा केन्द्र, जविप्रा, जयपुर।
20. समस्त प्रकोष्ठ अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
21. नोटिस बोर्ड ।
22. रक्षी पत्रावली।

यू.ओ.नोट कमांकः–प–14(9)जविप्रा/संस्था/2019
दिनाँकः– २०|१२|१९

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - {+91-141-2572515} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {7015} फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {mahendrasharma.jda@rajasthan.gov.in}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

"नाम प्रतिस्थापन पत्र का प्रारूप"

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

क्रमांक:– दिनांक:–

____

____

विषय:–गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड में नाम स्थापन/हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन बाबत ।

संदर्भ:–आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन क्रमांक---- दिनांक----के संदर्भ में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर -------- गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर की आवासीय योजना ------------- के संबंध में समिति द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत सूची में भूखण्ड संख्या ------ के प्रति आपका नाम स्थापित/प्रतिस्थापित/हस्तान्तरित किया जाता है।

इस नाम स्थापन/प्रतिस्थापन/हस्तान्तरण आदेश से उक्त भूखण्ड पर आपको किसी प्रकार के विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे । इस नाम स्थापन/प्रतिस्थापन/हस्तान्तरण आदेश को किसी बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करने एवं किसी भी न्यायालय में न्यायिक अनुतोष/न्यायिक विवाद का आधार नहीं बनाया जा सकेगा ।

क्योंकि उक्त योजना जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा अनुमोदित नहीं है अतः उक्त आदेश अंतरिम/अनंतिम है एवं भविष्य में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा योजना के अनुमोदन से होने वाले किसी भावी परिवर्तन के अध्ययधीन है, जिस हेतु आप द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र रिकार्ड में रख लिया गया है।

उपायुक्त जोन-----
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर ।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - (+91-141-2572515) ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (7015) फैक्स - +91-141-2574555
ई-मेल : (mahendrasharma.jda@rajasthan.gov.in)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

"सामान्य मार्ग दर्शन बिन्दु व चैक लिस्ट "

उपायुक्त जोन द्वारा निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करते हुए प्रकरण नाम स्थापन/प्रतिस्थापन/हस्तान्तरण के उपर्युक्त पाये जाने पर ही उपरोक्त आदेश जारी किये जावेगें:–

1. नाम स्थापन/प्रतिस्थापन/हस्तान्तरण आदेश जारी करने से पूर्व जोन उपायुक्त द्वारा सहकारिता प्रकोष्ठ से प्राप्त सूची से मिलान किया जावे एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों तथा पत्रावली के अभिलेखों के साथ पूर्ण परीक्षण कर आवेदकी की पात्रता पाये जाने पर ही उक्त आदेश जारी किया जावे ।
2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के संबंध में किसी भी प्रकार का संदेह होने पर संबंधित गृह निर्माण सहकारी समिति/प्रशासक/समापक से दस्तावेजात का सत्यापन कराया जावे एवं पूर्ण पात्रता पाये जाने पर आदेश जारी किये जावे ।
3. आवेदित भूखण्ड के संबंध में एक से अधिक पक्षकारों द्वारा दावा किये जाने पर एवं प्रकरण का निस्तारण सम्भव नहीं होने पर पक्षकारों को राजस्थान सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 2001 की धारा 58 के तहत कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया जावे ।
4. किसी भी प्रकार की राजकीय भूमि, अवाप्ताधीन भूमि, प्रतिबंधित भूमि, अन्य राजकीय विभागों की भूमि पर गृह निर्माण सहकारी समितियों की सृजित आवासीय योजनाऐं जो पूर्व में जेडीए द्वारा निरस्त की गई है एवं राज्यादेश/नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा स्पष्ट तौर से अलग से जारी आदेशाानुसार नियमन से प्रतिबन्धित गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा सृजित की गई योजनाओं के भूखण्डों के संबंध में नाम स्थापन/प्रतिस्थापन/ हस्तान्तरण की कार्यवाही नहीं की जावे।
5. किसी भूमि/योजना/भूखण्ड के संबंध में आदेश जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि आदेश जारी करने से किसी भी न्यायिक विवाद में जविप्रा पक्षकार ना बने एव ना ही किसी न्यायालय की अवमानना हो ।
6. आदेश जारी करने से पूर्व प्राप्त किये जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में जविप्रा द्वारा जारी किये गये कार्यालय आदेश कमांक प 1(4)नागरिक सेवा केन्द्र/जविप्रा/2019/डी 480 दिनांक 30.08.2019 में निर्दिष्ट किये गये दस्तावेजों, शपथ पत्रों, सजरा व अन्य दस्तावेजों की प्राप्ति की जानी सुनिश्चित करे एवं प्रदत्त निर्देशों का पालना किया जाना सुनिश्चित की जावे।
7. आवेदित भूखण्ड के संबंध में मूल दस्तावेजो के आधार पर जोन उपायुक्तगण द्वारा योजना की सूची से मिलान कर दस्तावेजो एवं अभिलेखो का परीक्षण कर पात्रता पाये जाने पर आदेश जारी किये जावे।
8. जविप्रा द्वारा पूर्व मे जारी आदेश दिनांक 30.08.19 का अधिकमण करते हुए आगामी कार्यवाही जोन उपायुक्तगण के स्तर पर किये जाने के आदेश जारी किये जावे तथा सचिव, जविप्रा के स्थायी आदेश संख्या–6 कमांक जविप्रा/ना.से.के./09 दिनांक 23.07.09 को प्रत्याहारित किये जाने के आदेश जारी किये जावे ।
9. उपरोक्त आदेश की प्रतिलिपि सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को जेडीए की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु जोन स्तर से प्रेषित की जावे एवं सिस्टम एनालिस्ट को फ्लो चार्ट जोन उपायुक्त के नाम बनाने का निर्देश दिया जावे ।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - {+91-141-2572515} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {7015}: फैक्स - +91-141-2574555
ई-मेल : {mahendrasharma.jda@rajasthan.gov.in}